आयोजनागत-राज्य सेक्टर

संख्या-31/2015-1165 /चौदह-4-2015-500(18)/2015

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 03 जुलाई,2015

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी- 2547/36-टी-77(वन्य जीव प्रबंधन) दिनांक 15.06.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत ''संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन'' योजनान्तर्गत धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण	
15-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500
29-अनुरक्षण	7700
योग राजस्व लेखा-	**8200**

पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव	
09-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	800
42-अन्य व्यय	1000
योग पूँजी लेखा-	**1800**
कुल योग-	**10000**

(रूपये एक करोड़ मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार यदि लागू हों तो व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। संबंधित प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की

वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

5- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 1165(1)/चौदह-4-2015-500(18)/2015 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/, व्दितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार व्दितीय, उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।